

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभभवन, भोपाल

कमांक / 443 / 1133 / 2009 / ब-1 / चार

भोपाल, दिनांक ०९ / 05 / 2017

प्रति,
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,
2 समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
मध्य प्रदेश भोपाल,

विषय:—वित्तीय वर्ष के अंतर्गत त्रैमासिक कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।


सदर्भ:—इस विभाग का पत्र कमांक 335 / 1133 / 2009 / ब-1 / चार दिनांक 30.03.2017.

संदर्भित परिपत्र के द्वारा त्रैमासिक कार्ययोजना एवं बजट आवंटन के संबंध में जारी किये गये निर्देशों को निम्नानुसार व्ययों के लिये उपलब्ध बजट के मात्र पुनर्वितरण में संशोधन के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं :-

- 1) जहाँ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है ;
- 2) छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति के सभी मद ;
- 3) जहाँ अनुदान से किसी संस्था में वेतन / भत्तों / छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो ;
- 4) जहाँ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे—प्राकृतिक आपदा, आर बीसी 6(4) के तहत भुगतान, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा, राहत राशियां इत्यादि) ;
- 5) न्यायालयीन आदेश / डिक्री से संबंधित भुगतान ;
- 6) निर्माण कार्यों में किसी व्यय को केवल पूर्वित (Only Prepone) कर वर्तमान अवधि में लाना ; एवं
- 7) शासन की ऐसी देयताएं जहाँ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है।
(जैसे—ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रूपेश कुमार पठवार)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ०क० 444/1133/2009/ब-1/चार

भोपाल, दिनांक ०९/०५/२०१७

प्रतिलिपि:- 1/ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।

2/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।

3/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।

4/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।

5/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

6/ सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल।

7/ महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।

8/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट)1/2 मध्य प्रदेश भोपाल।

9/ आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

10/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्य प्रदेश मंत्रालय भोपाल।

11/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा, मध्य प्रदेश।

12/ समस्त कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।

13/ समस्त प्राचार्य लेखा परीक्षण शाला मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग